

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,

लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- विदिशा जिले में NH-346 (Old SH-19) के अन्तर्गत Vidisha-Mahulwa-Talbehat Section में फोरलेन निर्माण हेतु 2.33 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सागर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 045/2022-BHO दिनांक 21.08.2023

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि रु0 56,05,775/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 13.8.2023 को ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 30,12,340/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 13.10.2023 को ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि दिनांक 13.10.2023 को एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर विदिशा का प्रमाण पत्र दिनांक 08.11.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा रोड साइड प्लांटेशन स्कीम प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान ने Muck shall be disposed off in forest area के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया है, छायाप्रति संलग्न है।

8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 53522 है।

9- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

10- शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

11- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त-B

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4- शर्त क्रमांक (4) से (16) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


29.12.23

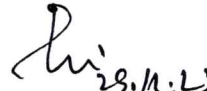
(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 29/12/2023

पृ. क्रमांक/एफ-5/1189/2022/10-11/5508

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, विदिशा, मध्यप्रदेश।
 3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


29.12.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल